



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032022-234552  
CG-DL-E-26032022-234552

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1319]  
No. 1319]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 25, 2022/चैत्र 4, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 25, 2022/CHAITRA 4, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2022

का.आ. 1361(अ).—मंत्रालय की प्रारूप अधिसूचना का.आ. 2633 (अ.), दिनांक 28 जुलाई, 2016, के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल [esz-mef@nic.in](mailto:esz-mef@nic.in) पर भेज सकता है।

### प्रारूप अधिसूचना

नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य एवं पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य में सबसे दक्षिणी संरक्षित क्षेत्र है और अगस्थायामलाई जैवमंडल रिज़र्व के कोर क्षेत्र का भाग है और पश्चिमी घाट में पेरियार हाथी रिज़र्व का भाग भी है। समृद्ध जैव-विविधता वाले इन दो वन्यजीव अभयारण्यों का नाम क्रमशः दो नदियों नेय्यर और पेप्पारा के नाम पर रखा गया है और तिरुवनंतपुरम वन्यजीव संभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है;

और, नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी घाट के दक्षिणपूर्वी कोने में 128 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और कलामाला, कलामाला एक्सटेंशन, कोट्टूर, कोट्टूर एक्सटेंशन एवं नेट्टूकलथेरीकुन्नू रिज़र्व वन के अंतर्गत है। यह तिरुवनंतपुरम जिले के नेय्यतीनकारा तालुका में 8°17' और 8°53'उ अक्षांश और 76°40' और 77°17'पू देशांतर के बीच स्थित है;

और, पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य 53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और कोट्टूर एवं पालोड रिज़र्व वन के अंतर्गत है। यह तिरुवनंतपुरम जिले के नेदुमंगद तालुका में 80° 34' और 80° 41'उ अक्षांश और 77° 6' और 77°14'पू देशांतर के बीच स्थित है;

और, नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य जीओ (एम एस) 871/58 एडी तारीख 06.01.1958 को अधिसूचित किया गया था और उसी की सीमाओं को जी ओ (पी) सं. 2305/ एफ2/71 एडी तारीख 18.03.1971 को पुनः अधिसूचित किया गया था, जिसमें नेय्यर जलाशय को वन्यजीव अभयारण्य से जोड़ा गया था, जबकि पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य को जीओ (पी) सं.379/83 एडी तारीख 21.12.1981 को अधिसूचित किया गया था;

और, नेय्यर और पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य 132 से अधिक परिवारों से संबंधित फूलों के पौधों की लगभग 1000 प्रजातियों वाले पौधे विविधता की बहुतायत का वास स्थल है, जो केरल से अनुमानित कुल फूलों के पौधों को लगभग 22% का प्रतिनिधित्व करता है। वनस्पति में मुख्यतः सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वन हैं जिसमें औषधीय पौधों और वृक्षों की विविध प्रजातियाँ जैसे *एब्रस प्रीटोरियस*, *अधातोदा ज़ेलेनिका मेडिक.*, *एलंगियम साल्विफोलियम*, *एलो वेरा*, *अल्फोन्सिया ज़ेलेनिका*, *एसपैरागस रेसमोसस*, *बॉम्बैक्स सेइबा*, *केसलपिनिया मिमोसाइड्स*, *कैलामस ब्रैंडिसि*, *कैलोफिलम एपेटालम*, *कैनेरियम स्ट्रिक्टम रोकसब*, *कैसिया फिस्टुला*, *सिनामोम ट्रावेनकोरियम गैमबल*, *करकुमा स्यूडोमोंटाना ग्राहम*, *साइथिया गिगेंटेन*, *डाल्बर्गिया लैटिफोलिया*, *हेलिकटेरस आइसोरा*, *मुरैया कोएनिगी*, *मिरिस्टिका डैक्टाइलॉइड्स गर्टन*, *पाइपर लोंगम*, *सिज़ीगियम ट्रावनकोरिकम गैबल*, *टर्मिनालिया अर्जुन*, *टर्मिनालिया बेलेरिका*, *टर्मिनालिया चेबुला*, *टर्मिनालिया पैनिकुलाटा*, *ट्राइकोपस ज़ेलेनिकस*, *वाल्थेरिया इंडिका*, *राइटिया टिनक्टोरिया*, आदि शामिल है;

और, संरक्षित क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत के लगभग सभी प्रमुख स्तनधारियों को आश्रय प्रदान करता है। अभयारण्य की स्थलाकृति और जलवायु इसे विभिन्न प्रकार के पशुओं को आश्रय देने के लिए विविध सूक्ष्म और स्थूल वासों की उपस्थिति को सक्षम बनाती है। जीवजंतु विविधता में स्तनधारी (43 प्रजातियां), पक्षी (233 प्रजातियां), सरीसृप (46 प्रजातियां), उभयचर (13 प्रजातियां) मछलियाँ (27 प्रजातियाँ) और तितलियों के विविध प्रकार शामिल हैं;

और, नेय्यर और पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य की दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न (आरईटी) प्रजातियों में चेरियादालोदकम (*अधातोदा बेडडोमेई*), अकील (*अगलिया मालाबारिका शशिध.*), कांथा-कामुगु (*बेंटिनकिया कोंडापन्ना*), मारमांजल (*कोसिनियम फेनेस्ट्रेटम*), वेल्लाकिल (*डायसोक्सिलम मालाबारिकम*), कट्टुकुदम्बुल्ली (*गार्सिनिया गमी-गुट्टा*), अग्निशिखा, करथिकापुवु (*गलोरिओसा सुपरब*), अमृथापाला (*जानकिया अरायलपथरा*), चोराप्यिन (*नेमा एटेनुआटा*), कट्टुजथी (*मिरिस्टिका मालाबारिका*), कुलमावु (*पर्सिया मैक्रान्था*), थिप्पली (*पाइपर लोंगम एल.*), एलुकुटी, मालवुरम (*पेट्रोस्पर्मम रेटिकुलटम*), वथामकोल्लीमाराम, पोरियाल (*सिज़ीगियम ट्रावनकोरियम*), नीरमारुथु (*टर्मिनलिया अर्जुना*), वेल्लापायिन (*वेटेरिया इंडिका*), सांभर हिरण (*सर्वस यूनिक्लर*), जंगली बिल्ली (*फेलिस चौस*), ब्लैक नेड हेर (*लेपस निग्रीकोलिस*), बोनट मैकाक (*मकाका रेडियाटा*), नीलगिरि मार्टन (*मार्ट्स ग्वाटकिंसि*), बार्किंग डीयर (*मुंटियाकस मुंटजैक*), तेंदुआ (*पेंथेरा पार्डस*), टोडी बिल्ली (*पैराडाक्सुरस हेमाफ्रोडाइड्स*), मालाबार विशाल गिलहरी (*रतुफा इंडिका*), नीलगिरि लंगूर (*ट्रैचीपिथेकस जांती*), जंगल मैना (*एक्रिडोथेरेस फ्यूस्कस*), लार्जर गोल्डन बैकड कठफोडवा (*क्राइसोकोलैप्टस लुसिडस*), व्हाइट-बेल्ड ट्रीपाई (*डेंड्रोकिट्टा ल्यूकोगैस्ट्रा*), ब्लैक ड्रोंगो (*डिक्रूरस एडिमिलिस*), ग्रे जंगल फाउल (*गैलस सोनारती*), रूफस वुडपैकर (*माइक्रोप्टर्नस ब्रैच्यूरस*), मालाबार व्हिसलिंग थ्रश (*मायोफोनस हॉर्सफील्ड*), ब्लैक हेडेड ओरिओल (*ओरियोलस एक्सथोर्नस*), आशी प्रिनिया (*प्रिनिया सोशलिस*), रेड व्हिस्कर्ड बुलबुल (*पाइकोनोटस जोकोसस*),

इंडियन गार्डन लिज़र्ड (*कैलोटस वर्सिकलर*), दक्षिण भारतीय उड़ने वाली छिपकली (*ड्रेको डसुमेरी*), स्पेक्टाकलेड कोबरा (*नाजा नाजा*), बेडडोम्स टॉड (*दत्तफ्रीनस बेडडोमी*), मालाबार ट्री टॉड (*पेडोस्टिबेस ट्यूबरकुलोसस*), अनिल झाड़ी मेंढक (*राओर्चेस्टेस अनिली*), मालाबार डैनियो (*डेवारियो मालाबारिकस*), पीली कैटफिश (*होराबाग्रस ब्राचीसोमा*), मालाबार गुलाब (*पचलियोप्टा पांडियाना*), बंदर पज़ल (*रथिंडा अमोर*), साउथन बर्डविंग (*ट्रोइडस मिनोस*), आदि हैं;

और, नेय्यर और पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्यों में मुख्य स्थानिक प्रजातियां कट्टुचेना (*अमोर्फोफैलस कम्प्यूटेस*), अंजिली (*आर्टोकार्पस हिर्सुटस लैम.*), अमृथापाला (*जानकिया आर्यलपथरा*), आतुचम्बा (*साइजियम ऑकिडेंटलिस*), नीलगिरि तहर (*नीलगिरीट्रैगस हीलोक्रिअस*), मालाबार स्लेंडर लोरिस (*लोरिस लायडेककेरियानस मालाबारिकस*), ब्राउन पाम सिवेट (*पैराडोक्सरस जेरडोनी कैनिसकस*), धारीदार गर्दन वाले नेवले (*हर्पेस्टेस विटिकोलिस*), पश्चिमी घाट धारीदार गिलहरी (*फनमबुलस ट्रिस्ट्रिएटस*), त्रावणकोर उड़ने वाली गिलहरी (*पेटिनोमिस फ्यूस्कोकेपिलस*), साउथन ट्री पाई (*डेंड्रोकिट्टा ल्यूकोगैस्ट्रा*), बेडडोम्स लीपिंग फ्रांग (*इंदिराना बेडडोमी*), मालाबार ट्री टॉड (*पेडोस्टिबेस टुबरकुलोसस*), अनिल झाड़ी मेंढक (*राओर्चेस्टेस अनिली*), मालाबार डैनियो (*देवारियो मालाबारिकस*), कनारा स्विफ्ट (*कैल्टोरिस कैनाराइका*), मालाबार ट्री निम्फ (*आइडिया मालाबारिका*), रेड डिस्क बुश ब्राउन (*माइकलेसिस ऑकुलस*), मालाबार गुलाब (*पचलियोप्टा पांडियाना*), मालाबार बेंडेड स्वाँलो टेल (*पैपिलियो लियोमेडन*), पलनी फोररिंग (*यथ्यिमा यथ्यिमोइडस*), आदि अभिलिखित की गई हैं;

और, नेय्यर और पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य की अद्भुत पारिस्थितिकी प्रणालियों से एक मिरिस्टिका दलदल है। यह दलदल ही प्राचीन परिवार मिरिस्टिकासिया के कुछ सदस्यों जैसे *मिरिस्टिका फतुआ* (कोथाप्पयिन) और *मिरिस्टिका डैक्टाइलोइडस* (पशुपति) की उपस्थिति का एकमात्र स्थत है। ताजे जल के दलदल उभयचर और सरीसृप दोनों की प्रजातियों की विविधता और बहुतायत को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा, नेय्यर अभयारण्य के वन नेय्यर नदी का जलग्रहण क्षेत्र है और पेप्पारा अभयारण्य के वन कारामाना नदी का जलग्रहण क्षेत्र है;

और, नेय्यर और पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले के नेय्यर और पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 2.72 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात्:-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार नेय्यर और पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्यों के संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं से 70.906 वर्ग किलोमीटर के साथ 0 (शून्य) से 2.72 किलोमीटर तक विस्तृत है।

दिशा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार (किलोमीटर)
उत्तर-पूर्व	0 (शून्य)
पूर्व	0 (शून्य)
दक्षिण-पूर्व	0 (शून्य)
दक्षिण	0.22
दक्षिण-पश्चिम	1.16
पश्चिम	2.72
उत्तर-पश्चिम	2.39

नेय्यर और पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्यों की उत्तर-पूर्व, पूर्व और दक्षिण पूर्व सीमाओं में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का शून्य विस्तार तमिलनाडु के साथ और कलाक्कड मुंदनथुराई बाघ रिज़र्व के साथ भी और तमिलनाडु के कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य के साथ अंतःराज्यीय सीमा साझा होने से है।

(2) नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य और पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **अनुलग्नक -I** की सारणी क, सारणी ख और सारणी ग के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए नेय्यर और पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **अनुलग्नक -IIक, अनुलग्नक -IIख, अनुलग्नक -IIग, अनुलग्नक -IIघ और अनुलग्नक -IIङ** के रूप में संलग्न हैं।

(4) नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य और पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **अनुलग्नक -III** की सारणी क, सारणी ख और सारणी ग में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **अनुलग्नक -IV** की सारणी क और सारणी ख के रूप में संलग्न है।

**2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.**—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी और राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और
- (xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए प्रक्रिया प्रदान करेगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैरा 4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

**3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुमत नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा-लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमत किया जाएगा जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और

(v) पैराग्राफ-4 में उल्लिखित बढावा दिए गए क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुनः वनीकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**- सभी प्राकृतिक जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो।

(3) **पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.**- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुमत होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें से जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा:

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुमत होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा-संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल, रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का सन्निर्माण अनुमत नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सरण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सरण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषकों के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या केंद्र शासित द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम उसके अधीन बने नियमों जिसमें तटीय विनियमन जोन, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 शामिल है सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अन्य लागू नियमों के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
<b>क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप</b>		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडावर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर संशोधित मार्ग- दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सरण।	प्रतिषिद्ध।
6.	ठोस एवं जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के लिए ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और सामान्य भस्मीकरण सुविधा की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नया ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस अपशिष्ट के अपशिष्ट उपचार/प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं है। औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान/अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भस्मीकरण सुविधा की स्थापना प्रतिषिद्ध है।
7.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	घरेलू खेती को छोड़कर लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध होंगे।



8.	नई लकड़ी आधारित उद्योग।	प्रतिषिद्ध।
9.	विस्फोटक मदों का विनिर्माण और भंडारण।	प्रतिषिद्ध।
10.	वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पहाड़ियों का संपरिवर्तन।	प्रतिषिद्ध।
11.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुमत नहीं होगा।
12.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
13.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
14.	नदी तटों का अधिक्रमण और नदी तटों की वनस्पति को नष्ट करना, नदी के पत्थरों का संग्रहण।	प्रतिषिद्ध।
15.	ठोस अपशिष्ट/प्लास्टिक अपशिष्ट/ रासायनिक अपशिष्टों को नदी और भू-क्षेत्र में डालना।	प्रतिषिद्ध।
<b>ख. विनियमित क्रियाकलाप</b>		
16.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	<p>पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना की अनुमति नहीं होगी:</p> <p>परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।</p>
17.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	<p>(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा:</p> <p>परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी:</p> <p>परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे।</p> <p>(ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।</p>

18.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी समय-समय पर संशोधित उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
19.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
20.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
21.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा भूमिगत केवल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
22.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ न्यूनीकरण उपाय करना।
23.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ न्यूनीकरण उपाय करना।
24.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
27.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे।
28.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाह के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाह का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
29.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

30.	फर्मों, निगम और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
31.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	विनियमित और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
32.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
33.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
34.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
35.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
36.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
<b>ग. संवर्धित क्रियाकलाप</b>		
37.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
43.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
44.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
45.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
46.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
47.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

**5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.-** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के तहत इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, नामतः:

क्र.सं.	निगरानी समिति का गठन	पद
1.	जिला कलेक्टर, तिरुवनंतपुरम	अध्यक्ष;
2.	जिला पंचायत अध्यक्ष, तिरुवनंतपुरम	सदस्य;
3.	प्राकृतिक संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि केरल सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;

4.	केरल राज्य में प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ को प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए केरल सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
5.	केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
6.	वन्यजीव वार्डन, तिरुवनंतपुरम	सदस्य- सचिव

**6. निर्देश निबंधन:-** (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना की अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित हितधारकों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, अनुलग्नक V में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

**7. अतिरिक्त उपाय.-** इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

**8. उच्चतम न्यायालय, आदेश आदि.-** इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्याधीन होंगे।

[फा. सं. 25/104/2015-ईएसजेड-आरई]

तन्मय कुमार, अपर सचिव

## अनुलग्नक - I

## नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य और पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

## क. नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण;

दिशाएं	विवरण
उत्तर	नेय्यर बांध स्थल के उत्तर-पूर्व में लगभग 2.41 किलोमीटर पर सीमा बिंदु वलावट्टी से आरंभ होती है, तिरुवनंतपुरम वन संभाग के परुथीप्पल्ली श्रेणी की पूर्वी सीमा के साथ सीमा 636 मीटर करीमालाकरी तक जाती है, 491 मीटर पर चोट्टूपारा से होते हुए जाती है और इसके बाद नेय्यर और पेप्पारा अभयारण्यों की साझा सीमा के साथ जाती है और नेय्यर और कारामाना के बीच जलविभाजन रेखा के साथ उत्तर-पूर्व दिशा में 710 मीटर पर मप्पीमलाई, 985 मीटर पर काननकुन्नू, नचीयादीकुन्नू से होते हुए 1594 मीटर पर अथीरूमाला तक राज्य सीमा से होते हुए जाती है।
पूर्व	अथीरूमाला से आरंभ होकर, सीमा 1868 मीटर पर अगस्थायामाला, 1862 मीटर पर वावाट्टीमाला, 1416 मीटर पर वारायाट्टूमुदी और 756 मीटर पर वेनगुलामाला से बिंदु 662 मीटर और 701 मीटर से होते हुए राज्य सीमा के साथ जाती है।
दक्षिण	वेनगुलामाला से, सीमा राज्य सीमा के साथ अनमुधम तक जाती है और इसके बाद पूर्ण जलाशय स्तर (एफ. आर. एल) से नेय्यर बांध स्थल तक जाती है।
पश्चिम	बांध स्थल से, सीमा, कोट्टूर एक्सटेंशन रिजर्व के थौरीपारा भाग के एफ आर एल स्तर के साथ जाती है और इसके बाद सीमा नेट्टूकलथेरीकुन्नू रिजर्व वन से मलावेट्टी आरंभिक बिंदु तक जाती है।

## ख. पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण;


दिशाएं	विवरण
उत्तर	उस बिंदु, जहां वीथुरा-बोनाक्कोर्ड सड़क पेप्पारा बांध के जलग्रहण क्षेत्र से आरंभ होती है, सीमा जलग्रहण क्षेत्र की जलविभाजन सीमा के साथ चलती हुई यह बोनाक्कोर्ड चाय बागान की सीमा तक पहुंचती है, वहां से यह बागान की दक्षिणी सीमा के साथ जाती है और यह बागान की पूर्वी सीमा तक पहुंचती है। वहां से यह पेप्पारा जलाशय की जल विभाजन सीमा के साथ से चेम्मुनजीमोट्टाई तक जाती है।
पूर्व	चेम्मुनजीमोट्टाई से सीमा केरल और तमिलनाडु की अंतर-राज्यीय सीमा के साथ अरुमुखमकुन्नू (1457 मीटर) से होते हुए अथीरूमाला चोटी (1594 मीटर) तक पहुँचती है। अथीरूमाला चोटी से, यह सीमा नेय्यरा वन्यजीव अभयारण्य और कारामाना नदी बेसिन के बीच जलविभाजन सीमा के साथ जाती है। यह निम्न चोटियों नचीयादीकुन्नू (988 मीटर), कन्नन कुन्नू और करीमालाकरी (636 मीटर) से होते हुए कदीरामुदीमलाई पहुँचती है।
दक्षिण	कदीरामुदी से सीमा अगस्थीयावनम जैविक उद्यान के साथ पेप्पारा जलाशय के जलविभाजन क्षेत्र से होते हुए पेप्पारा बांध तक पहुँचती है।
पश्चिम	पेप्पारा बांध से आरंभ होकर, बांध के जल फैलाव क्षेत्र के बाएं तट के साथ बागान क्षेत्रों को छोड़कर और जलग्रहण क्षेत्र में सभी प्राकृतिक रिजर्व भाग सहित जाती है, यह निम्न चोटियों:- ओराचानकुन्नू, वट्टापाराकुन्नू, कल्लूपाराकुन्नू (473 मीटर) और पुमादाथूकुन्नू से होते हुए उत्तर में वीथुरा- बोनाक्कोर्ड सड़क तक पहुँचती है।

## ग. नेय्यर एवं पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्यों के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण;

दिशाएं	विवरण
उत्तर	सीमा वमानापुरम नदी पर कल्लर पुल (बिंदु 1) से आरंभ होकर नदी के साथ जाती है और यह चेम्मुंजीमोट्टाई (बिंदु 9) में राज्य सीमा तक पहुंचती है।
उत्तर पूर्व	चेम्मुंजीमोट्टाई (बिंदु 9) से आरंभ होकर पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य और परीथीप्पली श्रेणी की साझा सीमा के साथ जाती है और कोट्टामाला तक पहुंचती है, इसे करीचट्टी मोटा भी कहा जाता है। इसके बाद करीचट्टी मोटा से पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य सीमा के साथ चथेनकोडे तक जाती है और फिर कल्लूपाराक्कुन्नू (बिंदु 16) पर पहुंचती है।
पूर्व	इसके बाद कल्लूपाराक्कुन्नू से पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ-साथ चलते हुए वट्टापारा कुन्नू से होते हुए पेप्पारा जलाशय से मिलने बिंदु संख्या 18 तक जाती है और पेप्पारा जलाशय की सीमा के साथ नीचे जाती है।
दक्षिण पूर्व	पेप्पारा जलाशय सीमा पर बिंदु संख्या 18 से आरंभ होकर, दक्षिण पूर्व की ओर पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ कदीरमुदी (बिंदु संख्या 20) तक जाती है और फिर कदीरमुदी से पश्चिम की ओर नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ छोट्टू पारा से होते हुए कप्पूकदु जाती है और फिर नट्टूकलथेरी होते हुए वलावेट्टी जाती है और नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य के साथ माराक्कुन्नू से नेय्यर बांध तक जाती है। उसके बाद नेय्यर जलाशय के साथ-साथ कोलियाक्कोडु से नीराप्पुकाला से पंथा और फिर मयम तक जाती है और पारथी में बिंदु 32 पर समाप्त होती है।
दक्षिण	पाराथी से करीक्कुझी से होते हुए नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य के साथ जाती है और इसके बाद पुनः अनामुघम सडक से होते हुए यह कौट्टप्पु जंक्शन में मिलती है और उसके बाद पौचामुक्कू से होते हुए कुदाप्पानामौदु-नेय्यर सडक के साथ जाती है और कंदामथीट्टा (बिंदु 41) में मिलती है।
दक्षिण पश्चिम	कंडमथिट्टा से कंडमथिट्टा-वावोडु सडक के साथ एडवाचल तक और फिर कोट्टुममथोडु के साथ-साथ नेय्यर नदी के संगम तक पहुंचती है, वहां से पेरिजामकाडवु तक जाती है और नेय्यर बांध कल्लिकाडु सडक को काटती है और मथनकोड धारा के साथ नेय्यर लेफ्ट बैंक नहर पर चलती है। सीमा आगे कलियाल-कोट्टूर सडक के साथ कोट्टूर (प्वाइंट 49) तक पहुंचती है।
पश्चिम	कोट्टूर से सीमा कोट्टूर-वलीपारा रोड के साथ मैनकोड तक जाती है और फिर अंचुनाझिकाथोडु सेतु तक जाती है फिर वहां से पेरुमंथोडु (कोट्टूरथोडु) तक जाती है और मुदक्की में करमाना नदी से मिलती है और ओट्टापपुरा से कुट्टापपुरा थोडु (बिंदु 55) तक कारामाना नदी के साथ चलती है।
उत्तर पश्चिम	कुट्टापपुरा थोडु से, सीमा विथुरा-पेप्पारा रोड के साथ-साथ मनकला तक जाती है और फिर कलीक्कल स्ट्रीट रोड होते हुए पारुथिप्पल्ली रेंज की वन सीमा के पास जाती है। वहां से विथुरा बोनाकौड रोड के साथ विथुरा-बोनाकौड रोड में मुन्नम नंबर तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ती है और कथिप्पारा, अरनमकुझी होते हुए मक्की में समाप्त होती है, जब तक कि यह कल्लर ब्रिज तक पहुंच कर समाप्त नहीं होती है।


अनुलग्नक - IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर सहित नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य और पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



अनुलग्नक – IIख


मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर सहित नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य और पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग मानचित्र





अनुलग्नक - IIग

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र



अनुलग्नक - IIघ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र



## अनुलग्नक - II

नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य और पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र



## अनुलग्नक -III

सारणी क: नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं.	अवस्थान	देशांतर	अक्षांश
1	कलामाला 1	77°14' 42.25" पू	8°29' 45.82" उ
2	कलामाला 1	77°13' 56.9" पू	8°30' 20.91" उ
3	कलामाला 1	77°12' 52.72" पू	8°30' 39" उ
4	कलामाला 1	77°12' 41.2" पू	8°30' 18.61" उ
5	कलामाला 1	77°12' 11.02" पू	8°30' 0.79" उ
6	कलामाला 2	77°15' 20.77" पू	8°35' 45.32" उ

7	कलामाला 2	77°14' 51.36" पू	8°36' 12.21" उ
8	कलामाला 2	77°15' 50.52" पू	8°35' 14.08" उ
9	कलामाला 2	77°16' 4.43" पू	8°34' 56.31" उ
10	कलामाला 2	77°16' 11.84" पू	8°34' 38.24" उ
11	कलामाला 2	77°16' 33.59" पू	8°33' 50.64" उ
12	कलामाला 2	77°17' 5.03" पू	8°32' 42.3" उ
13	कलामाला 2	77°16' 30.73" पू	8°31' 55.93" उ
14	कलामाला 2	77°15' 46.87" पू	8°30' 17.71" उ
15	कलामाला 2	77°15' 8.58" पू	8°30' 14.08" उ
16	कोट्टूर	77°14' 5.44" पू	8°37' 42.04" उ
17	कोट्टूर	77°8' 47.64" पू	8°33' 12.98" उ
18	कोट्टूर	77°8' 26.8" पू	8°32' 39" उ
19	कोट्टूर	77°8' 45.96" पू	8°32' 24.88" उ
20	कोट्टूर	77°8' 54.34" पू	8°32' 12.69" उ
21	कोट्टूर	77°8' 32.32" पू	8°32' 18.42" उ
22	कोट्टूर	77°8' 43.48" पू	8°32' 1.54" उ
23	कोट्टूर	77°9' 2.21" पू	8°31' 53.5" उ
24	कोट्टूर	77°9' 17.13" पू	8°31' 38.01" उ
25	कोट्टूर	77°9' 10" पू	8°32' 56.01" उ
26	कोट्टूर	77°9' 26" पू	8°33' 6.35" उ
27	कोट्टूर	77°9' 11.39" पू	8°33' 27.61" उ
28	कोट्टूर	77°14' 49.85" पू	8°37' 8.7" उ
29	कोट्टूर	77°11' 39.77" पू	8°30' 19.13" उ
30	कोट्टूर	77°11' 31.44" पू	8°30' 46.35" उ
31	कोट्टूर	77°11' 8.11" पू	8°31' 9.1" उ
32	कोट्टूर	77°11' 5.51" पू	8°31' 32.37" उ
33	कोट्टूर	77°10' 44.7" पू	8°31' 40.48" उ
34	कोट्टूर	77°10' 34.12" पू	8°31' 40.69" उ
35	कोट्टूर	77°10' 45.88" पू	8°31' 32.76" उ
36	कोट्टूर	77°10' 19.98" पू	8°31' 54.05" उ
37	कोट्टूर	77°10' 22.08" पू	8°31' 43.01" उ
38	कोट्टूर	77°10' 36.92" पू	8°31' 16.45" उ
39	कोट्टूर	77°10' 14.44" पू	8°31' 37.11" उ
40	कोट्टूर	77°10' 21.32" पू	8°31' 31.19" उ
41	कोट्टूर	77°10' 8.28" पू	8°31' 42.28" उ
42	कोट्टूर	77°9' 31.34" पू	8°32' 3.16" उ

43	कोट्टूर	77°10' 3.37" पू	8°31' 33.99" उ
44	कोट्टूर	77°10' 26.38" पू	8°31' 1.62" उ
45	कोट्टूर	77°9' 56.95" पू	8°31' 21.97" उ
46	कोट्टूर	77°9' 55.08" पू	8°31' 39.55" उ
47	कोट्टूर	77°9' 40.13" पू	8°31' 51.54" उ
48	कोट्टूर	77°9' 49.25" पू	8°31' 36.34" उ
49	कोट्टूर	77°9' 29.44" पू	8°31' 53.81" उ
50	कोट्टूर	77°9' 29.89" पू	8°31' 44.12" उ
51	कोट्टूर	77° 13' 28.06" पू	8° 37' 2.11" उ
52	कोट्टूर	77° 12' 45.57" पू	8° 36' 8.78" उ
53	कोट्टूर	77° 12' 13.71" पू	8° 35' 32.78" उ
54	कोट्टूर	77° 12' 18.51" पू	8° 34' 58.68" उ
55	कोट्टूर	77° 12' 1.55" पू	8° 34' 30.8" उ
56	कोट्टूर	77° 10' 47.47" पू	8° 34' 12.89" उ
57	कोट्टूर	77° 9' 54.94" पू	8° 34' 27.18" उ
58	कोट्टूर	77° 9' 46.93" पू	8° 33' 24.49" उ

सारणी ख: पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ मुख्य अवस्थानों के अक्षांश- देशांतर

क्र.सं.	अवस्थान	देशांतर	अक्षांश
1	अथीरुमाला	77° 8' 34.39" पू	8° 37' 17.98" उ
2	अथीरुमाला	77° 8' 47.52" पू	8° 36' 53.72" उ
3	अथीरुमाला	77° 9' 20.44" पू	8° 36' 46.85" उ
4	अथीरुमाला	77° 9' 36.48" पू	8° 36' 30.11" उ
5	अथीरुमाला	77° 10' 12.85" पू	8° 35' 59.74" उ
6	अथीरुमाला	77° 10' 38.21" पू	8° 35' 27.05" उ
7	अथीरुमाला	77° 10' 54.38" पू	8° 34' 57.29" उ
8	अथीरुमाला	77° 13' 28.06" पू	8° 37' 2.11" उ
9	अथीरुमाला	77° 12' 45.57" पू	8° 36' 8.78" उ
10	अथीरुमाला	77° 12' 13.71" पू	8° 35' 32.78" उ
11	अथीरुमाला	77° 12' 18.51" पू	8° 34' 58.68" उ
12	अथीरुमाला	77° 12' 1.55" पू	8° 34' 30.8" उ
13	अथीरुमाला	77°12' 34.72" पू	8°39' 43.23" उ
14	अथीरुमाला	77°12' 48.43" पू	8°39' 21.28" उ
15	अथीरुमाला	77°12' 50.66" पू	8°39' 2.15" उ
16	अथीरुमाला	77°13' 31.71" पू	8°38' 16.61" उ
17	अथीरुमाला	77°13' 50.18" पू	8°38' 20.23" उ

18	थोदायार	77°8' 28.44" पू	8°37' 32.27" उ
19	थोदायार	77°8' 23.76" पू	8°37' 51.03" उ
20	थोदायार	77°8' 53.74" पू	8°37' 38.61" उ
21	थोदायार	77°7' 50.4" पू	8°38' 10.98" उ
22	थोदायार	77°8' 29.44" पू	8°38' 0.62" उ
23	थोदायार	77°7' 25.06" पू	8°38' 34.08" उ
24	थोदायार	77°7' 9.72" पू	8°38' 51.92" उ
25	थोदायार	77°6' 49.29" पू	8°39' 25.14" उ
26	थोदायार	77°7' 19.5" पू	8°39' 43.5" उ
27	थोदायार	77°7' 35.45" पू	8°39' 53.66" उ
28	थोदायार	77°7' 53.36" पू	8°39' 38.43" उ
29	थोदायार	77°8' 43.78" पू	8°38' 58.13" उ
30	थोदायार	77°9' 3.56" पू	8°38' 42.4" उ
31	थोदायार	77°9' 11.87" पू	8°38' 57.04" उ
32	थोदायार	77°9' 7.75" पू	8°39' 19.07" उ
33	थोदायार	77°9' 15.46" पू	8°39' 24.7" उ
34	थोदायार	77°9' 26.57" पू	8°39' 49.46" उ
35	थोदायार	77°9' 4.21" पू	8°40' 11.63" उ
36	थोदायार	77°9' 14.56" पू	8°40' 24.26" उ
37	थोदायार	77°9' 10.15" पू	8°40' 55.53" उ
38	थोदायार	77°9' 27.44" पू	8°41' 3.98" उ
39	थोदायार	77°9' 54.05" पू	8°40' 27.35" उ
40	थोदायार	77°9' 44.79" पू	8°40' 13" उ
41	थोदायार	77°10' 12.93" पू	8°39' 55.02" उ
42	थोदायार	77°10' 30.25" पू	8°40' 14.68" उ
43	थोदायार	77°10' 50.91" पू	8°40' 36.36" उ
44	थोदायार	77°11' 2.49" पू	8°40' 49.49" उ
45	थोदायार	77°11' 7.62" पू	8°41' 22.53" उ
46	थोदायार	77°11' 36.15" पू	8°40' 36.86" उ
47	थोदायार	77°12' 5.39" पू	8°40' 33.89" उ
48	थोदायार	77°12' 29.1" पू	8°40' 50.72" उ
49	थोदायार	77°12' 7.42" पू	8°40' 3.7" उ

सारणी ग: नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य एवं पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के साथ मुख्य अवस्थानों के अक्षांश- देशांतर

जी पी एस बिंदु	अक्षांश	देशांतर
1	8°42' 29.360" उ	77°7' 48.672" पू
2	8°42' 36.582" उ	77°8' 18.391" पू
3	8°42' 41.992" उ	77°8' 46.834" पू
4	8°42' 39.975" उ	77°9' 17.992" पू
5	8°42' 3.339" उ	77°10' 2.303" पू
6	8°42' 1.565" उ	77°11' 18.064" पू
7	8°41' 21.050" उ	77°11' 40.106" पू
8	8°40' 56.149" उ	77°12' 29.236" पू
9	8°40' 52.219" उ	77°12' 29.041" पू
10	8°40' 36.469" उ	77°11' 35.203" पू
11	8°41' 23.307" उ	77°11' 6.379" पू
12	8°39' 54.652" उ	77°10' 12.563" पू
13	8°41' 4.247" उ	77°9' 26.320" पू
14	8°39' 30.513" उ	77°9' 28.516" पू
15	8°38' 42.156" उ	77°9' 3.197" पू
16	8°39' 36.771" उ	77°6' 50.105" पू
17	8°38' 35.225" उ	77°7' 24.881" पू
18	8°38' 7.177" उ	77°8' 26.417" पू
19	8°36' 46.601" उ	77°9' 20.839" पू
20	8°34' 31.636" उ	77°11' 30.873" पू
21	8°34' 26.303" उ	77°9' 55.546" पू
22	8°33' 25.903" उ	77°9' 47.426" पू
23	8°33' 25.145" उ	77°9' 30.302" पू
24	8°32' 56.347" उ	77°9' 10.814" पू
25	8°33' 13.452" उ	77°8' 47.151" पू
26	8°33' 4.612" उ	77°8' 28.648" पू
27	8°32' 35.419" उ	77°8' 27.620" पू
28	8°32' 13.010" उ	77°8' 53.113" पू
29	8°31' 38.060" उ	77°9' 16.755" पू
30	8°31' 33.435" उ	77°10' 8.151" पू
31	8°31' 33.024" उ	77°10' 47.213" पू
32	8°31' 11.704" उ	77°11' 13.293" पू
33	8°30' 45.883" उ	77°11' 33.632" पू
34	8°30' 18.636" उ	77°11' 54.135" पू

जी पी एस बिंदु	अक्षांश	देशांतर
35	8°30' 6.959" उ	77°12' 5.977" पू
36	8°29' 53.071" उ	77°12' 8.242" पू
37	8°30' 4.315" उ	77°11' 59.776" पू
38	8°30' 8.410" उ	77°11' 29.479" पू
39	8°30' 23.887" उ	77°11' 24.552" पू
40	8°30' 32.042" उ	77°10' 54.063" पू
41	8°30' 54.511" उ	77°10' 17.715" पू
42	8°30' 43.732" उ	77°9' 58.926" पू
43	8°31' 15.414" उ	77°9' 19.839" पू
44	8°31' 44.337" उ	77°8' 49.073" पू
45	8°31' 55.299" उ	77°8' 13.634" पू
46	8°32' 35.743" उ	77°8' 0.175" पू
47	8°33' 6.135" उ	77°8' 3.083" पू
48	8°33' 22.685" उ	77°8' 22.579" पू
49	8°33' 56.005" उ	77°8' 26.117" पू
50	8°33' 43.949" उ	77°8' 44.590" पू
51	8°34' 1.867" उ	77°8' 51.025" पू
52	8°35' 15.218" उ	77°9' 2.153" पू
53	8°36' 22.799" उ	77°9' 11.051" पू
54	8°36' 45.799" उ	77°8' 4.156" पू
55	8°37' 45.264" उ	77°7' 55.755" पू
56	8°37' 57.099" उ	77°6' 50.569" पू
57	8°38' 30.805" उ	77°6' 32.419" पू
58	8°38' 54.167" उ	77°6' 14.706" पू
59	8°39' 25.470" उ	77°6' 3.193" पू
60	8°39' 51.725" उ	77°6' 13.309" पू
61	8°40' 26.472" उ	77°5' 49.236" पू
62	8°40' 31.866" उ	77°6' 21.050" पू
63	8°40' 39.180" उ	77°6' 32.925" पू
64	8°40' 42.358" उ	77°7' 18.572" पू
65	8°40' 34.083" उ	77°7' 48.721" पू
66	8°41' 9.824" उ	77°7' 53.290" पू
67	8°41' 49.570" उ	77°7' 50.672" पू



## अनुलग्नक -IV

**पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की मुख्य सीमाओं के भू-निर्देशांक**

सारणी क: भू-निर्देशांकों सहित नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	ग्राम के प्रकार	तालुक	जिला	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1	कल्लिक्लाडा	राजस्व	नेयात्तिकारा	तिरुवनंतपुरम	8°32'48.84"	77°12'39.24"
2	अंबौरि	राजस्व	नेयात्तिकारा	तिरुवनंतपुरम	8°28'12"	77°11'24"
3	वाञ्चिचल	राजस्व	कट्टाक्काडा	तिरुवनंतपुरम	8°33'17.00"	77°08'37.20"

सारणी ख: भू-निर्देशांकों सहित पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	ग्राम के प्रकार	तालुक	जिला	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1	मनूरकारा	राजस्व	नेदुमंगद	तिरुवनंतपुरम	8°33'41"	77°7'34.64"
2	वीथुरा	राजस्व	नेदुमंगद	तिरुवनंतपुरम	8°40'54.48"	77°6'7.92"

## अनुलग्नक -V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र :-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुलग्नक में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार) । विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th March, 2022

**S.O 1361(E).**—In supersession of Ministry's draft notification S.O. 2633(E), dated 28<sup>th</sup> July, 2016, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

**DRAFT NOTIFICATION**

**WHEREAS**, the Neyyar Wildlife Sanctuary & Peppara Wildlife Sanctuary are the southernmost protected areas in the State of Kerala and form part of core area of the Agasthayamalai Biosphere Reserve and also part of Periyar Elephant Reserve in Western Ghats. These two Wildlife Sanctuaries with rich biodiversity are named after the two rivers Neyyar and Peppara respectively and fall under the administrative control of the Thiruvananthapuram Wildlife Division.

**AND WHEREAS**, the Neyyar Wildlife Sanctuary is spread over southeast corner of Western Ghats covering an area of 128 square kilometers and falls in Klamala, Klamala extension, Kottur, Kottur extension & Nettukaltherikunnu Reserve Forests. It is situated between 8<sup>o</sup>17' and 8<sup>o</sup>53'N Latitude and 76<sup>o</sup>40' and 77<sup>o</sup>17'E Longitude in Neyyatinkara Taluka of Thiruvananthapuram District;

**AND WHEREAS**, the Peppara Wildlife Sanctuary is spread over an area of 53 square kilometers and falls in Kottur & Palode Reserve Forests. It is situated between 80° 34' and 80° 41'N Latitude and 77° 6' and 77° 14'E Longitude in Nedumangad Taluka of Thiruvananthapuram district;

**AND WHEREAS**, the Neyyar Wildlife Sanctuary was notified *vide* GO (MS) 871/58 AD dated 06.01.1958 and the boundaries of the same was re-notified *vide* GO (P)NO.2305/F2/71 AD dated 18.03.1971 adding the Neyyar Reservoir into Wildlife Sanctuary whereas the Peppara Wildlife Sanctuary was notified *vide* GO (P) No. 379/83 AD dated 21.12.1981;

**AND WHEREAS**, the Neyyar and Peppara Wildlife Sanctuaries are treasure houses of plant diversity with about 1000 species of flowering plants belonging to more than 132 families, which represents nearly 22% of the total flowering plants estimated from Kerala. The vegetation mainly comprises of Evergreen and Moist Deciduous Forest which includes a variety of medicinal plants and tree species such as *Abrus precatorius*, *Adhatoda zeylanica* Medic., *Alngium salvifolium*, *Aloe vera*, *Alphonsea zeylanica*, *Asparagus racemosus*, *Bombax ceiba*, *Caesalpinia mimosoides*, *Calamus brandisii*, *Calophyllum apetalum*, *Canarium strictum* Roxb, *Cassia fistula*, *Cinnamomum travancoricum* Gamble, *Curcuma pseudomontana* Graham, *Cyathea gigantean*, *Dalbergia latifolia*, *Helicteres isora*, *Murraya koenigii*, *Myristica dactyloides* Gaertn, *Piper longum*, *Syzygium travancoricum* Gamble, *Terminalia arjuna*, *Terminalia bellerica*, *Terminalia chebula*, *Terminalia paniculata*, *Trichopus zeylanicus*, *Waltheria indica*, *Wrightia tinctoria*, etc;

**AND WHEREAS**, the protected areas harbors almost all the major mammals of peninsular India. The topography and the climate of the Sanctuary enable the occurrence of varied micro and macro habitats to shelter its variety of animals. The faunal diversity includes mammals (43 species), birds (233 species), reptiles (46 species), amphibians (13 species) fishes (27 species) and a wide variety of butterflies;

**AND WHEREAS**, the rare, endangered and threatened (RET) of the Neyyar and Peppara Wildlife Sanctuaries are cheriyadalodakam (*Adhatoda beddomei*), akil (*Aglaia malabarica* Sasidh.), kantha-kamugu (*Bentinckia condapanna*), maramanjil (*Coscinium fenestratum*), vellakil (*Dysoxylum malabaricum*), kattukudambulli (*Garcinia gummi-gutta*), agnisikha, karthikapooovu (*Gloriosa superba*), amrithapala

(*Janakia arayalpathra*), chorapyyin (*Knema attenuata*), kattujathi (*Myristica malabarica*), kulamavu (*Persea macrantha*), thippali (*Piper longum L.*), ellukooti, malavuram (*Pterospermum reticulatum*), vathamkollimaram, poriyal (*Syzygium travancoricum*), neermaruthu (*Terminalia arjuna*), vellapayin (*Vateria indica*), sambar deer (*Cervus unicolor*), jungle cat (*Felis chaus*), black naped hare (*Lepus nigricollis*), bonnet macaque (*Macaca radiata*), Nilgiri marten (*Martes gwatkinsii*), barking deer (*Muntiacus muntjak*), leopard (*Panthera pardus*), toddy cat (*Paradoxurus hemaphrodites*), malabar giant squirrel (*Ratufa indica*), Nilgiri langur (*Trachypithecus johnii*), jungle myna (*Acridotheres fuscus*), larger golden backed woodpecker (*Chrysocolaptes lucidus*), white-bellied treepie (*Dendrocitta leucogastra*), black drongo (*Dicrurus adsimilis*), grey jungle fowl (*Gallus sonneratii*), rufous woodpecker (*Micropternus brachyurus*), Malabar whistling thrush (*Myiophonus horsfieldii*), black headed oriole (*Oriolus xanthornus*), ashy prinia (*Prinia socialis*), red whiskered bulbul (*Pycnonotus jocosus*), Indian garden lizard (*Calotes versicolor*), south Indian flying lizard (*Draco dussumieri*), spectacled cobra (*Naja naja*), Beddome's toad (*Duttaphrynus beddomii*), Malabar tree toad (*Pedostibes tuberculosus*), anil's bush frog (*Raorchestes anili*), malabar danio (*Devario malabaricus*), yellow catfish (*Horabagrus brachysoma*), Malabar rose (*Pachliopta pandiyana*), monkey puzzle (*Rathinda amor*), southern birdwing (*Troides minos*), etc;

**AND WHEREAS**, the major endemic species recorded from the Neyyar and Peppara Wildlife Sanctuaries kattuchena (*Amorphophallus commutatus*), anjili (*Artocarpus hirsutus Lam.*), amrithapala (*Janakia arayalpathra*), aatuchamba (*Syzygium occidentalis*), Nilgiri tahr (*Nilgiritragus hylocrius*), Malabar slender loris (*Loris lydekkerianus malabaricus*), brown palm civet (*Paradoxurus jerdoni caniscus*), stripe-necked mongoose (*Herpestes vitticollis*), Western Ghats striped squirrel (*Funambulus tristriatus*), Travancore flying squirrel (*Petinomys fuscocapillus*), southern tree pie (*Dendrocitta leucogastra*), Beddome's leaping frog (*Indirana beddomii*), Malabar tree toad (*Pedostibes tuberculosus*), Anil's bush frog (*Raorchestes anili*), Malabar danio (*Devario malabaricus*), kanara swift (*Caltoris canaraica*), Malabar tree nymph (*Idea malabarica*), red disk bush brown (*Mycalesis oculus*), Malabar rose (*Pachliopta pandiyana*), Malabar banded swallow tail (*Papilio liomedon*), palni fourring (*Ypthima ypthimoides*), etc;

**AND WHEREAS**, the *Myristica* swamps are one of the unique ecosystems found in Neyyar & Peppara Wildlife Sanctuary. These swamps are the only sites of occurrence of certain members of the ancient family Myristicaceae such as *Myristica fatua* (Kothappayin) and *Myristica dactyloides* (Pashupathi). These freshwater swamps play an important role in regulating the species diversity and abundance of both amphibians and reptiles. Also, the forests of Neyyar Sanctuary are the catchment areas of Neyyar River and forests of Peppara Sanctuary are the catchment areas of Karamana River;

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Neyyar and Peppara Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

**NOW, THEREFORE**, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to 2.72 kilometres around the boundary of Neyyar and Peppara Wildlife Sanctuaries, in Thiruvananthapuram districts in the State of Kerala as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

- 1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be of 70.906 square kilometers with an extent of 0 (zero) to 2.72 kilometer from the boundaries of the protected areas of Neyyar & Peppara Wildlife Sanctuaries.

Direction	Extent of Eco-sensitive Zone (kilometers)
North - East	0 (zero)
East	0 (zero)
South - East	0 (zero)
South	0.22

South - West	1.16
West	2.72
North - West	2.39

*Zero extent of Eco-sensitive Zone in north-east, east, and south east boundaries of the Neyyar and Peppara Wildlife Sanctuaries are interstate boundary shared with Tamil Nadu and also with Kalakkad Mundanthurai Tiger Reserve and Kanniyakumari Wildlife Sanctuary of Tamil Nadu.*

- (2) The boundary description of Neyyar Wildlife Sanctuary and Peppara Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended as Table A, Table B and Table C of **Annexure-I**.
  - (3) The maps of the Neyyar and Peppara Wildlife Sanctuaries demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC, Annexure-IID** and **Annexure-IIIE**.
  - (4) Lists of geo co-ordinates of the boundary of Neyyar Wildlife Sanctuary and Peppara Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table A, Table B and Table C of **Annexure-III**.
  - (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as Table A and Table B **Annexure-IV**.
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
  - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
    - (i) Environment;
    - (ii) Forest and Wildlife;
    - (iii) Agriculture;
    - (iv) Revenue;
    - (v) Urban Development;
    - (vi) Tourism;
    - (vii) Rural Development;
    - (viii) Irrigation and Flood Control;
    - (ix) Municipal;
    - (x) Panchayati Raj;
    - (xi) Kerala State Pollution Control Board; and
    - (xii) Public Works Department.
  - (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
  - (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

**3. Measures to be taken by the State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use.-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) **Natural water bodies.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism or eco-tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

- (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.
- (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely: -

- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco- education and eco-development;
  - (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution. -** Prevention and control of noise pollution in the Eco- sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.
- (8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made there under or standards stipulated by the State Government, whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.-** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8<sup>th</sup> April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco- sensitive Zone;
  - (b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

- (10) Bio-Medical Waste.**— Bio-Medical Waste Management shall be as under:-
- (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2016.
  - (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) Plastic waste management.**— The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
- (12) Construction and demolition waste management.** - The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
- (13) E-waste.**— The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) Vehicular traffic.**— The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) Vehicular pollution.**— Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) Industrial units.**— (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) Protection of hill slopes.**— The protection of hill slopes shall be as under:-
- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
  - (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.
- 4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.**— All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:

TABLE

S. No.	Activity	Description
<b>A. Prohibited Activities</b>		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 <sup>th</sup> August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 <sup>st</sup> April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substance.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio-medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste are permitted within ESZ. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/hospitals etc. is prohibited.
7.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited as per applicable laws except for homestead farming.
8.	New wood based industry.	Prohibited.
9.	Manufacturing and storage of explosive items.	Prohibited.
10.	Conversion of hills for commercial purpose.	Prohibited.
11.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
12.	Commercial use of firewood	Prohibited.



13.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
14.	Encroachment of river banks and destruction of river bank vegetation, collection of river stone.	Prohibited.
15.	Dumping of solid wastes/ plastic wastes/ chemical wastes in the river and the land area.	Prohibited.
<b>B. Regulated Activities</b>		
16.	Commercial establishment of hotels and resorts.	<p>No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities:</p> <p>Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.</p>
17.	Construction activities.	<p>(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents:</p> <p>Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
18.	Small scale non-polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
19.	Felling of trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.</p>

20.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
21.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted.
22.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
23.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
24.	Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc	Regulated as per the applicable laws.
25.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
28.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.
29.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
30.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
31.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
32.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
33.	Introduction of exotic species	Regulated as per the applicable laws.
34.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
35.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
<b>C. Promoted Activities</b>		
36.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
37.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
38.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.

39.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
40.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
41.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
42.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
43.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
44.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
45.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
46.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

**5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	The District Collector, Thiruvananthapuram	Chairman;
2.	The District Panchayath President, Thiruvananthapuram	Member;
3.	One representative of Non-governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Kerala	Member;
4.	One expert in Ecology and environment from reputed Institution or University in the State of Kerala to be nominated by Government of Kerala for a term of one year in each case.	Member;
5.	One representative of Kerala State Biodiversity Board	Member;
6.	The Wildlife Warden, Thiruvananthapuram	Member Secretary.

**6. Terms of reference.** – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31<sup>st</sup> March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

**7. Additional Measures.-** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

**8. Supreme Court, etc. orders.-** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal

[F. No. 25/104/2015-ESZ-RE]

TANMAY KUMAR, Addl. Secy.

#### ANNEXURE- I

#### BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NEYYAR WILDLIFE SANCTUARY AND PEPPARA WILDLIFE SANCTUARY

**Table A: Boundary description of Neyyar Wildlife Sanctuary;**

DIRECTIONS	DESCRIPTION
<b>NORTH</b>	Starting from Vlavetty, a point about 2.41Km North-East of Neyyar Dam site, the boundary runs along the eastern boundary of Paruthippally Range of Thiruvananthapuram Forest Division up to Karimalakari at 636m, passing Chottupara at 491m and then along the common boundary of Neyyar and Peppara Sanctuaries and runs along the North-East direction along the watershed line between Neyyar and Karamana rivers passing Mappimalai at 710m, Kannankunnu, Nachiyadikunnu at 985m upto Athirumala at 1594m, the State boundary.
<b>EAST</b>	Starting from Athirumala, the boundary runs along the state boundary passing Agasthyamala at 1868 m, Vavattimala at 1862m, Varayattumudi at 1416m, and the points of 662m and 701m upto Vengulamala at 756m.
<b>SOUTH</b>	From Vengulamala, the boundary runs along the state boundary up to Anamugham and then along the level of Full Reservoir Level (FRL) to Neyyar Dam site.
<b>WEST</b>	From dam site the boundary runs along the FRL level up to Thooripara, a portion of Kottoor extension reserve, and then along the boundary of Nettukaltherikunnu reserve forests up to Mlavetty, the starting point.

**Table B: Boundary description of Peppara Wildlife Sanctuary;**

DIRECTIONS	DESCRIPTION
<b>NORTH</b>	From the point where Vithura-Bonaccord road enters the catchments area of the Peppara dam, the boundary runs along the watershed boundary of the catchment area till it reaches the boundary of Bonaccord tea estate, from where it passes along the Southern boundary of the estate till it reaches the eastern boundary of the estate. From there it runs along the watershed boundary of Peppara reservoir to Chemmunjimottai.


<b>EAST</b>	From Chemmunjimottai the boundary runs along the inter-state boundary of Kerala and Tamil Nadu passing Arumukhamkunnu (1457 m.) till it reaches the Athirumala peak (1594 m.). From Athirumala peak the boundary runs along the watershed boundary between Neyyar Wildlife Sanctuary and Karamana river basin till it reaches Kadiramudimalai passing along the following peaks Nachiyadikunnu (988 m.), Kannan kunnu and Karimalakari (636 m.).
<b>SOUTH</b>	From Kadirumudi the boundary follows the watershed area of Peppara reservoir along the Agasthiavanam Biological Park till it reaches the Peppara dam.
<b>WEST</b>	Starting from the Peppara dam, along the left bank of the water spread area of the dam, excluding the plantation areas and including all the natural reserve portion in the catchments area, till it reaches the Vithura-Bonoccord road in the north passing through the following peaks: Orachankunnu, Vattaparakunnu, Kalluparakunnu (473m) and Pumadathu kunnu.

**Table C : Boundary description of Eco-Sensitive Zone of Neyyar & Peppara Wildlife Sanctuaries;**

<b>DIRECTIONS</b>	<b>DESCRIPTION</b>
<b>NORTH</b>	Starting from Kallar bridge (Point 1) on Vamanapuram river runs along the course of river till it reaches the State boundary at Chemmunjimottai (Point 9).
<b>NORTH EAST</b>	Starting from Chemmunjimottai (Point 9) runs along the common boundary of Peppara Wildlife Sanctuary and Parithippally Range till it reaches Kottamala, also called Karichatty motta. Thence proceeds from Karichatty motta to Chathencode along Peppara Wildlife Sanctuary boundary and then to Kalluparakkunnu (Point 16)
<b>EAST</b>	Thence, from Kalluparakkunnu runs along the Peppara Wildlife Sanctuary boundary through Vattapparakunnu to meet Peppara reservoir at Point 18 and follows down along the Peppara reservoir boundary.
<b>SOUTH EAST</b>	Starting from Peppara reservoir boundary at Point 18, runs south east along the Peppara Wildlife Sanctuary boundary to Kadirmudy (Point 20), thence from Kadirmudy runs West along the Neyyar Wildlife Sanctuary boundary through Chottupara to Kappukadu and then to Vlavetty through Nettukalthery and to Marakkunnam to Neyyar Dam along Neyyar Wildlife Sanctuary. Thence runs along the side of Neyyar reservoir through Koliyakkodu to Nirappukala to Pantha and then to Mayam and ends at Parathi (Point 32).
<b>SOUTH</b>	From Parathi runs along the Neyyar Wildlife Sanctuary boundary through Karikkuzhy and then continues through Anamugham road till it meets at Koottappu junction and then proceeds along Kudappanamoodu - Neyyar road through Poochamukku and meets at Kandamthitta (Point 41)..
<b>SOUTH WEST</b>	From Kandamthitta runs to Edavachal, along the Kandamthitta-Vavodu road and then along the course of Kottumamthodu till it reaches the confluence of Neyyar river, thence proceeds to Perijamkadavu and intersects the Neyyar Dam Kallikkadu road and runs over the Neyyar Left Bank Canal along Mathancode stream. The boundary further reaches Kottoor (Point 49) along Kalliyal-Kottoor road
<b>WEST</b>	From Kottoor the boundary proceeds to Mancode along Kottoor-Valippara road and then to Anchunazhikathodu causeway. Thence runs to Perumonthodu (Kottoorthodu) and meets Karamana river at Mudakki and runs along Karamana river from Ottappura till Kuttappara thodu (Point 55).
<b>NORTH WEST</b>	From Kuttappara thodu, the boundary runs along the Vithura-Peppara road till it reaches Mankala and thence through Kaleekkal street road, nearby the forest boundary of Paruthippally Range. Thence proceeds to reach Moonnam number in Vithura-Bonacaud Road along the Vithura Bonacaud road and ends at Makki through Kathippara, Aranamkuzhy, till it reaches and ends at Kallar Bridge.


ANNEXURE- IIA

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NEYYAR WILDLIFE SANCTUARY AND PEPPARA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIB

LAND USE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF OF NEYYAR WILDLIFE SANCTUARY AND PEPPARA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIC


MAP OF NEYYAR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS





ANNEXURE- IID

MAP OF PEPPARA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



**ANNEXURE- IIE**

**LOCATION MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND NEYYAR WILDLIFE  
SANCTUARY & PEPPARA WILDLIFE SANCTUARY**



**ANNEXURE –III**

**TABLE A: LATITUDE-LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ALONG THE BOUNDARY OF NEYYAR WILDLIFE SANCTUARY.**

Sl.No.	LOCATION	LONGITUDE	LATITUDE
1	Klamala 1	77°14' 42.25" E	8°29' 45.82" N
2	Klamala 1	77°13' 56.9" E	8°30' 20.91" N
3	Klamala 1	77°12' 52.72" E	8°30' 39" N
4	Klamala 1	77°12' 41.2" E	8°30' 18.61" N

5	Klamala 1	77°12' 11.02" E	8°30' 0.79" N
6	Klamala 2	77°15' 20.77" E	8°35' 45.32" N
7	Klamala 2	77°14' 51.36" E	8°36' 12.21" N
8	Klamala 2	77°15' 50.52" E	8°35' 14.08" N
9	Klamala 2	77°16' 4.43" E	8°34' 56.31" N
10	Klamala 2	77°16' 11.84" E	8°34' 38.24" N
11	Klamala 2	77°16' 33.59" E	8°33' 50.64" N
12	Klamala 2	77°17' 5.03" E	8°32' 42.3" N
13	Klamala 2	77°16' 30.73" E	8°31' 55.93" N
14	Klamala 2	77°15' 46.87" E	8°30' 17.71" N
15	Klamala 2	77°15' 8.58" E	8°30' 14.08" N
16	Kottur	77°14' 5.44" E	8°37' 42.04" N
17	Kottur	77°8' 47.64" E	8°33' 12.98" N
18	Kottur	77°8' 26.8" E	8°32' 39" N
19	Kottur	77°8' 45.96" E	8°32' 24.88" N
20	Kottur	77°8' 54.34" E	8°32' 12.69" N
21	Kottur	77°8' 32.32" E	8°32' 18.42" N
22	Kottur	77°8' 43.48" E	8°32' 1.54" N
23	Kottur	77°9' 2.21" E	8°31' 53.5" N
24	Kottur	77°9' 17.13" E	8°31' 38.01" N
25	Kottur	77°9' 10" E	8°32' 56.01" N
26	Kottur	77°9' 26" E	8°33' 6.35" N
27	Kottur	77°9' 11.39" E	8°33' 27.61" N
28	Kottur	77°14' 49.85" E	8°37' 8.7" N
29	Kottur	77°11' 39.77" E	8°30' 19.13" N
30	Kottur	77°11' 31.44" E	8°30' 46.35" N
31	Kottur	77°11' 8.11" E	8°31' 9.1" N
32	Kottur	77°11' 5.51" E	8°31' 32.37" N
33	Kottur	77°10' 44.7" E	8°31' 40.48" N
34	Kottur	77°10' 34.12" E	8°31' 40.69" N
35	Kottur	77°10' 45.88" E	8°31' 32.76" N
36	Kottur	77°10' 19.98" E	8°31' 54.05" N
37	Kottur	77°10' 22.08" E	8°31' 43.01" N
38	Kottur	77°10' 36.92" E	8°31' 16.45" N
39	Kottur	77°10' 14.44" E	8°31' 37.11" N
40	Kottur	77°10' 21.32" E	8°31' 31.19" N
41	Kottur	77°10' 8.28" E	8°31' 42.28" N
42	Kottur	77°9' 31.34" E	8°32' 3.16" N
43	Kottur	77°10' 3.37" E	8°31' 33.99" N
44	Kottur	77°10' 26.38" E	8°31' 1.62" N

45	Kottur	77°9' 56.95" E	8°31' 21.97" N
46	Kottur	77°9' 55.08" E	8°31' 39.55" N
47	Kottur	77°9' 40.13" E	8°31' 51.54" N
48	Kottur	77°9' 49.25" E	8°31' 36.34" N
49	Kottur	77°9' 29.44" E	8°31' 53.81" N
50	Kottur	77°9' 29.89" E	8°31' 44.12" N
51	Kottur	77° 13' 28.06" E	8° 37' 2.11" N
52	Kottur	77° 12' 45.57" E	8° 36' 8.78" N
53	Kottur	77° 12' 13.71" E	8° 35' 32.78" N
54	Kottur	77° 12' 18.51" E	8° 34' 58.68" N
55	Kottur	77° 12' 1.55" E	8° 34' 30.8" N
56	Kottur	77° 10' 47.47" E	8° 34' 12.89" N
57	Kottur	77° 9' 54.94" E	8° 34' 27.18" N
58	Kottur	77° 9' 46.93" E	8° 33' 24.49" N

**TABLE B: LATITUDE-LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ALONG THE BOUNDARY OF PEPPARA WILDLIFE SANCTUARY.**

Sl. No.	LOCATION	LONGITUDE	LATITUDE
1	Athirumala	77° 8' 34.39" E	8° 37' 17.98" N
2	Athirumala	77° 8' 47.52" E	8° 36' 53.72" N
3	Athirumala	77° 9' 20.44" E	8° 36' 46.85" N
4	Athirumala	77° 9' 36.48" E	8° 36' 30.11" N
5	Athirumala	77° 10' 12.85" E	8° 35' 59.74" N
6	Athirumala	77° 10' 38.21" E	8° 35' 27.05" N
7	Athirumala	77° 10' 54.38" E	8° 34' 57.29" N
8	Athirumala	77° 13' 28.06" E	8° 37' 2.11" N
9	Athirumala	77° 12' 45.57" E	8° 36' 8.78" N
10	Athirumala	77° 12' 13.71" E	8° 35' 32.78" N
11	Athirumala	77° 12' 18.51" E	8° 34' 58.68" N
12	Athirumala	77° 12' 1.55" E	8° 34' 30.8" N
13	Athirumala	77°12' 34.72" E	8°39' 43.23" N
14	Athirumala	77°12' 48.43" E	8°39' 21.28" N
15	Athirumala	77°12' 50.66" E	8°39' 2.15" N
16	Athirumala	77°13' 31.71" E	8°38' 16.61" N
17	Athirumala	77°13' 50.18" E	8°38' 20.23" N
18	Thodayar	77°8' 28.44" E	8°37' 32.27" N
19	Thodayar	77°8' 23.76" E	8°37' 51.03" N
20	Thodayar	77°8' 53.74" E	8°37' 38.61" N
21	Thodayar	77°7' 50.4" E	8°38' 10.98" N

22	Thodayar	77°8' 29.44" E	8°38' 0.62" N
23	Thodayar	77°7' 25.06" E	8°38' 34.08" N
24	Thodayar	77°7' 9.72" E	8°38' 51.92" N
25	Thodayar	77°6' 49.29" E	8°39' 25.14" N
26	Thodayar	77°7' 19.5" E	8°39' 43.5" N
27	Thodayar	77°7' 35.45" E	8°39' 53.66" N
28	Thodayar	77°7' 53.36" E	8°39' 38.43" N
29	Thodayar	77°8' 43.78" E	8°38' 58.13" N
30	Thodayar	77°9' 3.56" E	8°38' 42.4" N
31	Thodayar	77°9' 11.87" E	8°38' 57.04" N
32	Thodayar	77°9' 7.75" E	8°39' 19.07" N
33	Thodayar	77°9' 15.46" E	8°39' 24.7" N
34	Thodayar	77°9' 26.57" E	8°39' 49.46" N
35	Thodayar	77°9' 4.21" E	8°40' 11.63" N
36	Thodayar	77°9' 14.56" E	8°40' 24.26" N
37	Thodayar	77°9' 10.15" E	8°40' 55.53" N
38	Thodayar	77°9' 27.44" E	8°41' 3.98" N
39	Thodayar	77°9' 54.05" E	8°40' 27.35" N
40	Thodayar	77°9' 44.79" E	8°40' 13" N
41	Thodayar	77°10' 12.93" E	8°39' 55.02" N
42	Thodayar	77°10' 30.25" E	8°40' 14.68" N
43	Thodayar	77°10' 50.91" E	8°40' 36.36" N
44	Thodayar	77°11' 2.49" E	8°40' 49.49" N
45	Thodayar	77°11' 7.62" E	8°41' 22.53" N
46	Thodayar	77°11' 36.15" E	8°40' 36.86" N
47	Thodayar	77°12' 5.39" E	8°40' 33.89" N
48	Thodayar	77°12' 29.1" E	8°40' 50.72" N
49	Thodayar	77°12' 7.42" E	8°40' 3.7" N

**TABLE C : LATITUDE-LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ALONG THE BOUNDARY OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NEYYAR WILDLIFE SANCTUARY & PEPPARA WILDLIFE SANCTUARY**

GPS Points	Latitude	Longitude
1	8°42' 29.360" N	77°7' 48.672" E
2	8°42' 36.582" N	77°8' 18.391" E
3	8°42' 41.992" N	77°8' 46.834" E
4	8°42' 39.975" N	77°9' 17.992" E
5	8°42' 3.339" N	77°10' 2.303" E
6	8°42' 1.565" N	77°11' 18.064" E
7	8°41' 21.050" N	77°11' 40.106" E

<b>GPS Points</b>	<b>Latitude</b>	<b>Longitude</b>
8	8°40' 56.149" N	77°12' 29.236" E
9	8°40' 52.219" N	77°12' 29.041" E
10	8°40' 36.469" N	77°11' 35.203" E
11	8°41' 23.307" N	77°11' 6.379" E
12	8°39' 54.652" N	77°10' 12.563" E
13	8°41' 4.247" N	77°9' 26.320" E
14	8°39' 30.513" N	77°9' 28.516" E
15	8°38' 42.156" N	77°9' 3.197" E
16	8°39' 36.771" N	77°6' 50.105" E
17	8°38' 35.225" N	77°7' 24.881" E
18	8°38' 7.177" N	77°8' 26.417" E
19	8°36' 46.601" N	77°9' 20.839" E
20	8°34' 31.636" N	77°11' 30.873" E
21	8°34' 26.303" N	77°9' 55.546" E
22	8°33' 25.903" N	77°9' 47.426" E
23	8°33' 25.145" N	77°9' 30.302" E
24	8°32' 56.347" N	77°9' 10.814" E
25	8°33' 13.452" N	77°8' 47.151" E
26	8°33' 4.612" N	77°8' 28.648" E
27	8°32' 35.419" N	77°8' 27.620" E
28	8°32' 13.010" N	77°8' 53.113" E
29	8°31' 38.060" N	77°9' 16.755" E
30	8°31' 33.435" N	77°10' 8.151" E
31	8°31' 33.024" N	77°10' 47.213" E
32	8°31' 11.704" N	77°11' 13.293" E
33	8°30' 45.883" N	77°11' 33.632" E
34	8°30' 18.636" N	77°11' 54.135" E
35	8°30' 6.959" N	77°12' 5.977" E
36	8°29' 53.071" N	77°12' 8.242" E
37	8°30' 4.315" N	77°11' 59.776" E
38	8°30' 8.410" N	77°11' 29.479" E
39	8°30' 23.887" N	77°11' 24.552" E
40	8°30' 32.042" N	77°10' 54.063" E
41	8°30' 54.511" N	77°10' 17.715" E
42	8°30' 43.732" N	77°9' 58.926" E
43	8°31' 15.414" N	77°9' 19.839" E
44	8°31' 44.337" N	77°8' 49.073" E
45	8°31' 55.299" N	77°8' 13.634" E

GPS Points	Latitude	Longitude
46	8°32' 35.743" N	77°8' 0.175" E
47	8°33' 6.135" N	77°8' 3.083" E
48	8°33' 22.685" N	77°8' 22.579" E
49	8°33' 56.005" N	77°8' 26.117" E
50	8°33' 43.949" N	77°8' 44.590" E
51	8°34' 1.867" N	77°8' 51.025" E
52	8°35' 15.218" N	77°9' 2.153" E
53	8°36' 22.799" N	77°9' 11.051" E
54	8°36' 45.799" N	77°8' 4.156" E
55	8°37' 45.264" N	77°7' 55.755" E
56	8°37' 57.099" N	77°6' 50.569" E
57	8°38' 30.805" N	77°6' 32.419" E
58	8°38' 54.167" N	77°6' 14.706" E
59	8°39' 25.470" N	77°6' 3.193" E
60	8°39' 51.725" N	77°6' 13.309" E
61	8°40' 26.472" N	77°5' 49.236" E
62	8°40' 31.866" N	77°6' 21.050" E
63	8°40' 39.180" N	77°6' 32.925" E
64	8°40' 42.358" N	77°7' 18.572" E
65	8°40' 34.083" N	77°7' 48.721" E
66	8°41' 9.824" N	77°7' 53.290" E
67	8°41' 49.570" N	77°7' 50.672" E

**ANNEXURE –IV****GEO-COORDINATES OF PROMINENT BOUNDARIES OF THE VILLAGES FALLING IN THE ECO-SENSITIVE ZONE****Table A: List of Villages falling within the Eco-Sensitive Zone of Neyyar Wildlife Sanctuary along with Geo-coordinates.**

Sl.No ..	Village Name	Type of Village	Taluk	District	Latitude (N)	Longitude
1	Kallikkadu	Revenue	Neyyattinkara	Thiruvananthapuram	8°32'48.84"	77°12'39.24"
2	Amboori	Revenue	Neyyattinkara	Thiruvananthapuram	8°28'12"	77°11'24"
3	Vazhichal	Revenue	Kattakkada	Thiruvananthapuram	8°33'17.00"	77°08'37.20"

**Table B: List of Villages falling within the Eco-Sensitive Zone of Peppara Wildlife Sanctuary along with Geo-coordinates.**

Sl.No.	Village Name	Type of Village	Taluk	District	Latitude (N)	Longitude
1	Mannoorkara	Revenue	Nedumangad	Thiruvananthapuram	8°33'41"	77°7'34.64"
2	Vithura	Revenue	Nedumangad	Thiruvananthapuram	8°40'54.48"	77°6'7.92"

**ANNEXURE –V****Performa of Action Taken Report: -**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.